महत्वपूर्ण एवं खास

गिधमुडी में बाल विवाह को डायल 112 ने रुकवाई

कोरबा (आरएनएस)। बांगो थाना क्षेत्र अंतर्गत मोरगा चैकी के ग्राम गिधमुडी में हो रहे बाल विवाह की सूचना मंगलवार शाम चार बजे डायल 112की टीम को मिली। आरक्षक रामसिंह श्याम व चालक नीरज पांडेय ने मोरगा चैकी प्रभारी को मामले से अवगत कराते हुए चैकी स्टाफ के साथ संबंधित ग्राम पहुंचे, जहां 15 साल की नाबालिक लडक़ी का विवाह गांव के ही एक 19 साल के लडक़े के साथ हो रहा था। जिसे तत्काल रुकवाया गया।

सड़क हादसे में स्कूटी सवार महिला की मौत

कोरबा (आरएनएस)। सडक़ हादसे में एक स्कूटी सवार महिला की मौत मौके पर हो गई। तेज रफ्तार के ट्रेलर की टक्कर से हादसा हुआ। स्कुटी में पीछे बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। जिसे उपचारार्थ चिकित्सालय में भर्ती कराया गया हैं। ट्रेलर का चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक कोरबा चांपा मुख्य मार्ग बरपाली के पास हादसा हुआ है। एक सप्ताह में यह दूसरी घटना है। बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार 2 महिलाएं चांपा से कोरबा की तरफ आ रही थीं। वहीं तेज रफ्तार ट्रेलर कोरबा से चांपा की तरफ जा रहा था। इस दौरान हादसा हुआ। हादसे के बाद ट्रेलर चालक गाड़ी को छोडक़र मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद राहगीरों की भीड़ ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। उरगा पुलिस ने बताया कि बरपाली सिद्धि राइस मिल के पास हादसा हुआ है। स्कूटी चला रही साहिदान्त बेगम निवासी कोरबा की मौके पर मौत हुई है। वहीं कोरबा के रामपुर निवासी सुनीता उरांव निवासी को गंभीर चोटें आई है। वाहन चालक की तलाश की जा रही है।

कलेक्टर ने लिपिक को किया निलंबित , पीड़ितों से करता था अवैध उगाही

जशपुर-रायपुर (आरएनएस)। कलेक्टर द्वारा आम नागरिकों को दी जाने वाली राहत राशि दिलाने के नाम पर पीडितों से अवैध रूप से पैसों की वसूली करने वाले तहसील कार्यालय के सहायक ग्रेड-3 मोहन राम भगत को केक्टर ने निलंबित कर दिया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय फरसाबहार एवं कलेक्टर के आदेश से श्री भगत के निलंबित करते हुए उन्हें मुख्यालय में अटैच कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री भगत ने आरबीसी-6-4 के तहत प्रदान किए जाने वाली राहत राशि से पीडित पक्षकारों भीमराम मानिक, कमल साय, अजित खलको, नेहरु राम लक्ष्मण आदि से पैसों की उगाही की थी।

मां की डांट से नाराज किशोरी ने फांसी लगाकर दी जान

जशपुर-रायपुर (आरएनएस)। जिले के पतराटोली में एक 16 वर्षीय किशोरी ने अधिक मोबाइल चलाने की बात पर मां की डांट से नाराज होकर अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है। जिले में मोबाइल फोन को लेकर अब तक दर्जनों घटनाएं सामने आ चुकी है. ज्यादातर इसमें नाबालिग बच्चों को उनके कर्तव्यों का बोध कराना उनके माता-पिता के लिए चुनोती हो रही है. इन्ही बातों से नाराज होकर नाबालिग बच्चे गुस्से में आकर मौत को गले लगा लेते हैं. आज फिर जिले के कोतबा चौकी क्षेत्र के ग्राम पंचायत पतराटोली में एक 16 वर्षीय बालिका ने महज इतनी सी बात पढ़ाई करो मोबाइल फोन बाद में खेल लेना से नाराज होकर मौत को गले लगाना उचित समझा और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतिका बालिका कोतबा हाईस्कूल में अध्ययनरत थी. पत्थलगांव स्थहक्क धुर्वेश जायसवाल ने कहा कि कोतबा पुलिस थाना क्षेत्र में पतराटोली गांव में घटित इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच में जुट गई है. शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

खनिज विभाग की कार्यवाई : 11 प्रकरण दर्ज, वसूली गई 3,34,160 रूपए की जुर्माना

कोरबा। आरएनएस

नदी-नालों और वन्य क्षेत्रों में सक्रिय गौण खनिज के तस्करों पर लगाम लगाने खनिज विभाग की उडऩदस्ता टीम लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में विभागीय अमले ने विभिन्न ग्रामीण इलाकों में ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए केवल दो दिनों में 11 प्रकरण दर्ज किए हैं। इन कार्यवाहियों में रेत और पत्थर के तस्करों को न केवल अवैध उत्खनन-परिवहन करते रंगे हाथ पकड़ा गया, कुल 3 लाख 34 हजार 160 रूपए की जुर्माना राशि की वसूली भी की गई। इस तरह की जा रही कार्यवाही से तस्करों में हडक़ंप मचा हुआ है।

गौण खनिजों और खासकर रेत की रायल्टी की चोरी की रोकथाम के लिए खनिज विभाग की उडऩदस्ता टीम लगातार निरीक्षण कार्यवाही की जा रही है। इस दौरान ग्राम उरगा, कनकी, कुरूडीह, बरमपुर, इमलीडुग्गु भिलाईखुर्द, बालको जैसे स्थानों से 30 मार्च एवं एक अप्रैल को अवैध परिवहन के कुल 11 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इसमें रेत के 6 प्रकरण दर्ज कर आरोपित राशि एक लाख 32 हजार 693 एवं पत्थर गिट्टी 5 प्रकरण में 2 लाख एक हजार 414 रूपए आरोपित किया गया। इस तरह कुल 3 लाख 34 हजार 160 रूपए की जुर्माना राशि खनिज आय मद में जमा कराई गई है। इन प्रकरणों में वाहनों को जप्त कर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 यथा संशोधित छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 (5) व छत्तीसगढ़ (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम 2009 तहत् कार्यवाही की जा रही है।

प्रकृति व राजस्व की क्षति, अनाधिकृत घाट में हादसे का डर

रेत, मुरूम और पत्थर समेत गौण खनिजों के अवैध व अनियंत्रित उत्खनन से जहां प्रकृति और शासकीय राजस्व को नुकसान पहुंचता है, अनाधिकृत घाट बन जाने से वहां जानलेवा हादसे का भी डर बना रहता है। इसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर अजीत वसंत के आदेशानुसार गौण खनिज धारित क्षेत्रों से रेत के अवैध परिवहन, उत्खनन एवं भण्डारण में निरंतर कार्यवाही विभाग द्वारा खनिज नियमों के तहत की जा रही है। जिला के नगरीय निकाय व ग्रामीण क्षेत्रों पर खनिज अमलों की तैनाती कर यह कार्यवाही आगे भी नियमित तौर पर जारी रहेगी।

अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने पर मृतक के आश्रितों को मिलेगा 2 लाख

❐ घायलों को 50 हजार मुआवजा का प्रावधान

रायपुर। आरएनएस

राज्य के अंदर अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने पर मृतक के आश्रितों को 2 लाख तथा घायलों को 50 हजार रुपए मुआवजा दिए जाने की योजना है। इस योजना के प्रति लोगों को जागरुक करने एसएसपी संतोष सिंह ने सभी टीआई को पत्र लिखा है।

सडक़ यातायात और राजमार्ग मंत्रालय ने 25 फरवरी 2022 को हिट-एंड-रन वाहन दुर्घटना के पीडितों के मुआवजे के लिए एक नई योजना को अधिसूचित किया है. इस योजना के तहत मुआवजे की धनराशि बढ़ाने, यानी गंभीर रूप से घायल होने पर मुआवजे की राशि को 10000 रुपये से बढक़र 50 हजार रुपये और मृत्यु होने की स्थिति में मुआवजा राशि 50 हजार रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का प्रावधान किया गया। सबसे पहले पुलिस को घटना की सूचना दें और इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करें. इसके बाद पुलिस घटना का मुआयना करती है और 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट मोटर एक्सीडेंट ट्राइब्यूनल को भेजती है. रिपोर्ट के आधार पर ही इंश्योरेंस कंपनी मुआवजे की रकम तय करती है. यदि किसी स्थिति में व्यक्ति मुआवजे से संतुष्ट नहीं है तो वह ट्राइब्यूनल में अपील कर सकता है।

बाजार और श्रमिकों के कार्यस्थल में किया गया मतदाता जागरूकता अभियान

सारंगढ़ बिलाईगढ़

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धर्मेश कुमार साहू के निर्देशन और स्वीप नोडल अधिकारी हरिशंकर चौहान के मार्गदर्शन में जिले में मतदाता जागरूकता अंतर्गत नवाचार करते हुए नये-नये आयोजन के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में सारंगढ़ विकासखंड के ग्राम दानसरा और बरमकेला विकासखंड के ग्राम लेन्धरा के बाजार में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। दानसरा में इस रैली की शुरूआत मंदिर प्रांगण से किया गया। इसी प्रकार जनपद पंचायत बरमकेला के सीईओ प्रज्ञा यादव के नेतृत्व में ग्राम पंचायत पिहरा, डुमरपाली और गोबरसिंघा में तालाब गहरीकरण या अन्य कार्य में संलग्न श्रमिकों ने मतदान करने के लिए सामूहिक शपथ लिया।

बरमकेला क्षेत्र में पिंक थीम पर किया गया मतदाता जागरूकता रैली

मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रज्ञा यादव के नेतृत्व में बरमकेला विकासखंड के संकुल संगठन ग्राम कांदुरपाली, लेंधरा, बुदेली और बोन्दा में सुबह 8 बजे से मतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत पिंक रैली का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण जन, महिला, पुरूष, बुजुर्ग शामिल हुए। पिंक थीम महिलाओं पर केन्द्रित है, जिसके कारण से इस मतदाता जागरूकता रैली नाम पिंक रैली रखा गया, जिसमें सभी महिलाएं गुलाबी (पिंक) साड़ी पहनकर कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम अंतर्गत कांदुरपाली, लेंधरा, बुदेली और बोन्दा में रंगोली, मेहंदी, रैली और घर-घर जाकर मतदान के लिए मतदाताओं को प्रेरित किया गया और मतदाता स्टीकर ग्रामीणों के घर में चिपकाया गया। रैली के दौरान मतदाताओं को मतदान से प्रेरित करने के लिए नारा लगाया गया और मतदाताओं से मतदान करने हेतु संकल्प पत्र भी भरवाया गया।

कुसमुंडा मार्ग के किनारे पलटा खाली ट्रेलर, बाल-बाल बचा चालक

कोरबा। आरएनएस

कुसमुंडा क्षेत्र में तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद भारी वाहन चालकों की मनमानी कम नहीं हो रही, खदान प्रवेश से लेकर कांटा, लोडिंग, और फिर खदान से बाहर निकलने की जल्दबाजी ना सिर्फ आम लोगों बल्कि स्वयं के वाहन के साथ भी दुर्घटनाओं को अंजाम देने से नहीं चूक रहें हैं। घटनाक्रम कुसमुंडा थाना चैक का है जहां बुधवार की सुबह कुसमुंडा खदान प्रवेश करने की जल्दबाजी में एक खाली ट्रेलर थाना चैक पार कर पानी निकासी के लिए बनाए गए नाले में गिर गया, वहीं उसका पिछला हिस्सा चालू बिजली के बड़े से पोल में जा टिका, खंबा नही होता तो थाने परिसर की दीवार को तोड़ते हुए सीधे थाने में चली जाती। घटनाक्रम में अच्छी बात यह रही कि आपाधापी में किसी को चोट नहीं लगी। ना ही बिजली पोल को नुकसान हुआ है, वरन चालू बिजली की पोल गिरती तो बड़ा हादसा हो सकता था। बताना होगा कि थाना चैक में आमजनो की आवाजाही निरंतर बनी रहती है, ऐसे में यहां गेवरा टीपर रोड की ओर से खदान प्रवेश करने एक दिशा में चार से पांच ट्रेलरों की लाइन वहीं रेल्वे फाटक पार कर थाना चैक पर ही तीन से चार ट्रेलरों की लाइन लगी रहती है, ऐसे में दुपहिया अथवा हल्के वाहनों में चलने वाले आम लोगों का यहां से पार होना मुश्किल हो जाता हैं

तमनार पुलिस की अवैध शराब पर कार्यवाही जारी, ग्राम मुडागांव में 10 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल तथा एडिशनल एसपी आकाश मरकाम एवं डीएसपी अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन पर अवैध शराब पर अंकुश लगाने थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक आर्शीवाद राहटगांवकर के नेतृत्व में तमनार थानाक्षेत्र में पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में आज दिनांक 04/04/2024 को प्रधान आरक्षक संतोष कुर्रे, महिला प्रधान आरक्षक उषारानी तिर्की, आरक्षक भीष्मदेव सागर, पुष्पेन्द्र सिदार और अमरदीप एक्का के हमराह स्टाफ द्वारा ग्राम गोहडीडीपा, तमनार, हुंकराडीपा, कुंजेमुरा, मुडागांव में ग्रामीणों से संपर्क कर अवैध शराब बिक्री गांव में निषेधित करने समझाइश दी गई। इसी दरम्यान मुखबीर सूचना पर ग्राम मुडागांव के रघुनाथ चौहान पिता स्व. लक्ष्मीराम चौहान उम्र 58 वर्ष के कोलाबाडी में शराब रेड कार्रवाई किया गया जिसमें आरोपित के कब्जे से 10 लीटर महुआ शराब कीमती 2,000 रूपये का बरामद हुआ जिसकी विधिवत जप्ती की गई है। आरोपी पर थाना तमनार में धारा 34(2) 59-क आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया है।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में 31 जुलाई तक बिना अनुमति नलकूप खनन प्रतिबंधित

❐ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी धर्मेश कुमार साहू ने जारी किया आदेश

सारंगढ़ बिलाईगढ़

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी धर्मेश कुमार साहू ने ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए जिले में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सारंगढ़ बिलाईगढ़ संपूर्ण जिला को आगामी 31 जुलाई 2024 तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 (क्रमांक 3) 1987 की धारा 03 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है। उक्त अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में उपरोक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्वानमुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा, लेकिन शासकीय एजेंसी जैसे-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को संपूर्ण जिले में तथा नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद एवं नगर पंचायतों को केवल पेयजल हेतु अपने नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति

की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें केवल इस अवधि में खनन कराये गये नलकूपों की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को भेजना होगा।

जिले के सभी नागरिकों को अपने नगर अथवा ग्रामीण क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से विधिवत अनुमति की आवश्यकता होगी। जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत सारंगढ़ और बिलाईगढ़ के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अपने क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्राधिकृत अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार नलकूप खनन आवश्यक होने पर अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही करेंगे। यदि किसी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा उक्त अधिनियम के उल्लंघन में नलकूप खनन करना पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

पुल निर्माण स्थान पर रखे लोहे के चैनल, ब्रैकेट, सरिया चोरी के मामले में पांच आरोपी गिरफ्तार

❐ आरोपियों से चोरी का सारा समान बरामद, खरसिया पुलिस की कार्यवाई

रायगढ़

संपत्ति संबंधी अपराधों में अंकुश लगाने पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के मार्गदर्शन पर खरसिया पुलिस की टीम थाना प्रभारी खरसिया एवं प्रशिक्षु आईपीएस आकाश श्रीश्रीमाल के नेतृत्व में पूर्व में चोरी में शामिल आरोपियों तथा संदिग्धों पर निगाह रखकर माल मुज्मिल की पतासाजी की जा रही है जिसमें आज खरसिया पुलिस को ग्राम तिउर में उच्च स्तरीय पुल निर्माण के लिये रखे लोहे के सामान तथा खेत से मोटर पंप चोरी में शामिल आरोपियों को पकड़ा गया है। आरोपियों से पूछताछ में दो चोरियों का खुलासा हुआ। ग्राम तिउर में उच्च स्तरीय पुल निर्माण के लिये रखे लोहे के सामान चोरी के मामले में रिपोर्टकर्ता संतोष कुमार साहू निवासी ग्राम कंदूल थाना अर्जुदा जिला बालोद द्वारा कल 3 मार्च को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया, रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 221/2024 धारा 379 ताहि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। आज गिरफ्तार किये गये आरोपी – (1) नरेश गबेल उर्फ ननकी पिता रामकुमार गबेल उम्र 28 साल, (2) किशोर गबेल पिता मनमोहन सिंह गबेल उम्र 23 साल (3) गोपाल निषाद पिता कार्तिक राम निषाद उम्र 21 साल (4) संजय लाल गबेल पिता भजन राम गबेल उम्र 38 साल (5) संजय यादव पिता रमेश यादव उम्र 30 साल सभी निवासी ग्राम तिरूर थाना खरसिया से पुल निर्माण के लिए रखे 6 नग सेटरिंग प्लेट, लोहे के ब्रैकेट, 25 एमएम लोहे के सरिया और चैनल करीब रु.50,000 की संपत्ति बरामद किया गया है। खरसिया पुलिस द्वारा आरोपियों को चोरी के अपराध में न्यायिक रिमांड में पेश कर जेल भेजा गया है।

सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सेक्टर अधिकारियों को दिया गया निर्वाचन प्रशिक्षण

सारंगढ़ बिलाईगढ़

लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धर्मेश कुमार साहू के निर्देश पर सहायक रिटर्निंग अधिकारी वासु जैन, डॉ. स्निग्धा तिवारी और उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिकेत साहू की उपस्थिति में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में पाली-पाली से सेक्टर अधिकारियों को निर्वाचन प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनर चूड़ामणि गोस्वामी, एस.आर. अजय, जे.आर. बंजारे और थानेश्वर चन्द्रा ने सभी सेक्टर अधिकारियों को बताया कि आगामी 8 अप्रैल तक बुजुर्ग, दिव्यांग एवं ऐसे मतदाता जो मतदान केन्द्र नहीं जा सकते उनका घर बैठे मतदान के लिए चिन्हांकित करेंगे। इसी प्रकार डाकमत के लिए 26 से 28 अप्रेल 2024 तक संबंधित निर्वाचन कार्मिक अपना मतदान करेंगे। प्रशिक्षण में बताया गया कि मंडी परिसर में 6 मई को मतदान सामग्री का वितरण किया जाएगा, जिसे प्राप्ति होने पर चेकलिस्ट से मिलान करना होगा। मिलान के बाद सभी सेक्टर अधिकारी अपने अभिरक्षा में मतदान सामग्रियों को सुरक्षित रखेंगे। एक स्थान पर कई सेक्टर अधिकारी उपस्थित होने पर ईव्हीएम मशीनों का एक स्थान पर नहीं रखेंगे, जिससे किसी अन्य सेक्टर का ईव्हीएम किसी अन्य सेक्टर में चला जाए। इसी प्रकार अपने मतदान दल के साथ मतदान केन्द्र के लिए निर्धारित बस में रवानगी करेंगे। सकुशल पहुंचने पर निर्वाचन कार्यालय को सूचना मोबाइल के माध्यम से सूचना देंगे। मतदान के दिन मतदान समय के 90 मिनट पूर्व उपस्थित राजनीतिक दल के एजेंट, मतदाता आदि की उपस्थिति में ईव्हीएम मशीन में कम से कम 50 मतदान का टेस्ट मॉकपोल/छदम मतदान प्रक्रिया के तहत करेंगे। ईव्हीएम का बीयू और सीयू पार्ट खराब होने पर पूरा सेटअप बदला जाएगा। व्हीव्हीपैट (प्रिन्ट मशीन) खराब होने पर सिर्फ व्हीव्हीपैट ही बदला जाएगा। संगवारी मतदान केन्द्र में सभी मतदान दल महिलाएं होंगी। प्रशिक्षण में सभी सेक्टर अधिकारियों को ईव्हीएम अंतर्गत तीनों भाग बीयू, सीयू और व्हीव्हीपैट को कैसे जोड़ा जाता है, उसे प्रेक्टिकल कर समझाया गया।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंर्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU